भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

25107 13/2/18 1000 1 प्रतिभूति

बिहार BIHAR X 273700

Serial No. 4766 Deed No. 4668

Govt. of Bihar

Sub Registry Office, Danapur

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **09/04/2018** by **Munna Pandit**
A Stamp Duty of Rs. **403200**/- and other Fees of Rs. **20500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **4668** in Book No. **1**, Volume No. **86** on pages from **471** to **483** and has been preserved in total **13** pages in C.D. No. **14** / Year **2018**

Vkp 9/4/18

Signature with Date
(**Vinay Kumar Prasad**)
Registering Officer, **Danapur**

Date: 09/04/2018 Token No: 5085 /2018

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)



यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 07/04/2018 को

(1) श्री मुन्ना पंडित एवं (2) श्री रविन्द्र पंडित उर्फ रविन्द्र कुमार,

Mobile No- 9835214491

4/9/2018

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Authorised Signatory

दोनो के पिता का नाम स्व. सहदेव पंडित, दोनो निवासी –पेठिया बाजार, दानापुर कैन्ट, पोस्ट– दानापुर कैन्ट, थाना– दानापुर, जिला–पटना जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिसे प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

मेसर्स साई सम्पन्न इन्फ्रा एल.एल.पी. जिसका निबंधन कार्यालय– फ्लैट नं0– 106, ब्लॉक–ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स, जजेज कॉलोनी, सगुना, दानापुर, पटना, थाना– दानापुर, जिला– पटना–801503, कॉरपोरेट ऑफिस–सॉई सम्पन्न ग्रुप, हाईटेक हॉस्पीटल के सामने, खगौल रोड, सगुना मोड़ दानापुर, पटना– 801503, जिसका सेवा अनुरोध नंबर **(SRN)- M05905070** है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट– 2008 के अंतर्गत संचालित है, द्वारा नामित भागीदार श्री अजय कुमार, पिता का नाम– स्व0 विद्यानन्द राय, निवासी– फ्लैट नं0–104, ब्लॉक–ए, बिद्यानन्द महेश्वरी कम्पलेक्स, जजेज कॉलोनी, सागुना, दानापुर, पटना, थाना– दानापुर, जिला– पटना के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवलपर/भवन निर्माता, उन्नयनकर्त्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ है।

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner
7/4/18

यह कि जमीन मालिक मौजा–बबक्करपुर, सर्वे थाना–दानापुर, सम्प्रति थाना–शाहपुर, जिला– पटना के थाना नं.–35,, तौजी नं.–5059, खाता नं.–28, (अठाईस), सर्वे प्लौट नं.–192 एवं 193 (एक सौ बानवे एवं एक सौ तिरानवे) में एराजी–36 डिसमील (छतीस डिसमील) पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल–कब्जा में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख के कंडिका–5 में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि इस विलेख में वर्णित सम्पति जमीन मालिक की पैतृक सम्पति है जिसे जमीन मालिकगण के पिता सहदेव पंडित एक निबंधित वसीका बिक्रय पत्र के द्वारा श्री बिशुन दयाल राय, पिता का नाम– स्व0 बाबु रूपा राय, निवासी ग्राम– मैनपुरा,

थाना–दीधा, जिला–पटना से क्रय की है, जिसका निबंधन अवर निबंधन कार्यालय दानापुर में पुस्त संख्या–1, जिल्द संख्या–28 . पृष्ठ संख्या–4 से 7 तक पर अंकित कर वसीका संख्या–2032 / 1977 द्वारा दिनांक–04.06.1977 को हुआ है। तब से सहदेव पंडित अपनी क्रय की गई सम्पति पर स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए बिहार सरकार के अंचल कार्यालय दानापुर में दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी संख्या–248 पर सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते हुए अपने दो पुत्र यथा मुन्ना पंडित एवं रविन्द्र पंडित उर्फ रविन्द्र कुंमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये । अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् दोनो भाई अपने पिता के सम्पूर्ण सम्पति पर संयुक्त रूप से कब्जा दखल में रहते हुए स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांति्पूर्वक दखल–कब्जें में रहते हुए सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रहें है। इस तरह जमीन मालिक लेख्य सम्पति का विकास एकरारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

3. लेख्य प्रकारः– भूखंड विकसित करने हेतु विस्तारक के साथ अनुबंध।

4. भूखंड पर मल्टीकम्पलेक्स निर्माण पूरा होने पर कूल निर्मित क्षेत्र का 40 प्रतिशत भूखंड जमीन मालिक का होगा एव 60 प्रतिशत विस्तारक का होगा लेकिन जो जमीन नापी के अनुसार होगा उसी पर निर्माण होगा तथा उसी जमीन पर निर्मित क्षेत्र के हिस्से पर दोनो पक्ष हिस्सेदार होगें।

5. भूखंड का विवरणः–कुल क्षेत्रफल–36 डिसमली (छतीस डिसमील) है, जो मौजा–बबक्करपुर, सर्वे थाना–दानापुर, सम्प्रति थाना–शाहपुर, जिलाँ– पटना के थाना नं.–35, तौजी नं.–5059, खाता नं.–28 (अठाईस) , सर्वे प्लौट नं.–192 में एराजी 15 डिसमील एवं प्लौट नं.–193 में एराजी– 21 डिसमील में अवस्थित है। यह लेख्य सम्पति दानापुर नगर परिषद निजामत, तथा अवर निबंधन कार्यालय दानापुर एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो0–05 रूपये, अंचल कार्यालय दानापुर के माध्यम से जमाबंदी संख्या–1847पर भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner
7/4/18

2 दिनेश कुमार 7.4.18

मुकेश कुमार 7.4.18

अवर निबंधन कार्यालय

चौहद्दी

उत्तर – मेसर्स आस्तिक स्मार्ट सिटी प्रा०लि०
दक्षिण –शिवन पासी
पूरब –सर्वे आहर/सहायक सड़क
पश्चिम –बसंती सिंह

नोट :– उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2016–17 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं.–156 एवं जोन–02** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो0–1,44,00,000/–(एक करोड़ चौवालीस लाख) रूपया है।

6. यह कि नक्सा स्वीकृति के बाद विस्तारक एवं भूखंड स्वामी अपने–अपने हिस्से का निर्धारण कर लेगे एवं अपने हिस्से से संबंधित सहमति पत्र का 1000/– रू0 स्टॉम्प पर आगे–पीछे, उत्तर–दक्षिण सभी दिशाओं के फ्लैट का निष्पादन करेगें।

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त जमीन पर भूकम्प अवरोधि बहुमंजिला ईमारत बनवाना चाहते है और इस उद्देश्य हेतु इसे उपर वर्णित द्वितीय पक्ष विकासक को निम्नलिखित तथ्यों एवं शर्तो पर दिया गया है:–

1. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि यह भूखंड पूर्णतः साफ सुथरा अर्थात सिलिंग, एक्युजिसन आदि से मुक्त है तथा इन पर किसी तरह का कर्ज, बकाया या ऋण–भार नहीं है साथ ही इस जमीन पर किसी अन्य सरकारी विभाग से भी अटैचमेंट या एक्युजिसन से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इस जमीन से संबंधित किसी प्रकार का कोई केश न्यायालय में नहीं है। यह जमीन पूर्णतः बिक्री योग्य है और यह भूखंड बहुमंजिला ईमारत के नक्शा पास होने में किसी तरह का बाधा या अड़चन नही होगा प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि वे इस भूखंड के पूर्णतः मालिक है तथा इन्हें बेचने आदि का सभी अधिकार प्राप्त है, परंतु अभी तक किसी के साथ न तो बेचे है, न दान की है, न ही रेहन रखा है, न तो इस तरह का कोई अन्य इकरारनामा (एग्रीमेंट) स्टैंड करता है।

2. यह कि प्रथम पक्ष इस एग्रीमेंट के बाद, द्वितीय पक्ष एवं इनके स्टाफ इंजिनीयर, आर्किटेक्ट, एजेन्ट इत्यादि को हरेक तरह के सहायता प्रदान करेगें तथा व्यय द्वितीय पक्ष करेगे जैसे उक्त भूखंड पर जाने, रहने, प्रचार हेतु बोर्ड लगाने या बिल्डिंग मेटैरियल जमा करने हेतु एवं अन्य बिकास पूर्व कार्य जमीन मापने, बौन्ड्री वाल करने हेतु इत्यादि।

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner

3. यह कि प्रथम पक्ष प्लॉट द्वितीय पक्ष को पूर्णतः खाली अवस्था में हस्ताक्षर उक्त वसीका पर होते ही विकासक को सौप देंगे जिसपर विकासक को यह अधिकार लेख्यकारी द्वारा दिया जाता है कि विकासक लेख्य सम्पति पर किसी भी प्रकार का कार्य जैसे– बाउण्ड्रीवाल, मिट्टी भराई, ऑफिस निर्माण, कम्पनी का बोर्ड लगाना इत्यादि कार्य करेंगे जिसमें लेख्यकारी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

4. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि यदि किसी प्रकार का झूठा दावा या अन्य प्रकार का विवाद उक्त भूखंड या भूखंड के अंश पर स्वामित्व संबंधित होगा तो इस तरह के मामले को प्रथम पक्ष खुद अपने खर्चे पर जल्द से जल्द निबटायेगें और इस कारण से निर्माण में हुई बिलम्ब को निर्माण अवधि में नहीं जोड़ेंगे।

5. यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि उक्त भूखंड से संबंधित इस तरह का कोई और एग्रीमेंट किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के साथ नहीं है, अगर ऐसा पाया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस एग्रीमेंट को निरस्त करने हेतु एवं उस भूखंड पर निर्माण हेतु किये गये सभी कार्यो में खर्च, किये गए राशि लेने के हकदार होगें, साथ ही प्रथम पक्ष यह भी घोषणा करते है कि निर्माण अवधि में द्वितीय पक्ष के सामने किसी प्रकार की दिक्कतें पैदा नहीं करेगें।

6. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि भवन निर्माण के बाद निर्मित भवन तथा पार्किंग में प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) का 40 प्रतिशत हिस्सा एवं द्वितीय पक्ष (विकासक) का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।

7. यह कि रेरा एवं अन्य सभी तरह के जो भी संबंधित विभागों के द्वारा नोटीफिकेशन होगा उसे दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे, तत्पश्चात् शेष फ्लैटों पर दोनों पक्षों के हिस्से का निर्धारण किया जायेगा।

8. प्रथम पक्ष यह घोषणा करते है कि उपर वर्णित भूखंड स्वामी के अलावा इसमें और किसी अन्य व्यक्ति का हिस्सा नही है, जैसे कोई अन्य भाई, भतिजा, बहन इत्यादि अगर ऐसा होता भी है तो वह शर्त संख्या– 6 के अनुसार सिर्फ प्रथम पक्ष के हिस्से में से ही हिस्सेदार होंगे न कि द्वितीय पक्ष के हिस्सा से यानि कि द्वितीय पक्ष का हिस्सा किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner
7/4/18

7.4.18

7.4.18

9. प्रथम पक्ष इस बात पर सहमत है कि विकासक इस भूखंड पर भवन निर्माण करवाने हेतु स्वीकृत होने वाले नक्शे पर हस्ताक्षर करेंगे एवं जरूरत के अनुसार जमिन मालिक से भी हस्ताक्षर करायेंगे। तथा नक्शा इस दस्तावेज के साथ संलग्न रहेगा।

10. प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि समय–समय पर जरूरत पड़ने वाले सभी तरह के पेपर, डीड एवं अन्य कागजात द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें तथा प्रथम पक्ष रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के पूर्व विकासक को अपनी उक्त लेख्य जमीन से संबंधित अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जमाबंदी रसीद, खतियान, बंशावली एवं भूस्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देंगे।

11. प्रथम पक्ष पुनः सहमत है कि अगर निर्माण कार्य में विघ्न या निर्माण कार्य किसी कारणवश बंद होने पर, जैसे कि भूखंड से संबंधित किसी तरह का विवाद, न्यायालय का आदेश से बंद हो या वैसी परिस्थिति में जो कि बिल्डर के नियंत्रण से बाहर हो, वैसी परिस्थिति में जरूरत अनुसार निर्माण अवधि सहमति से बढ़ाई जाएगी।

12. अगर द्वितीय पक्ष को किसी समय भविष्य में उस सम्पति/भवन पर से छोड़ना पड़ता है जैसे टाईटील में कमी या इस तरह के अन्य विवाद के चलते सलटना होगा तो दोनों पक्षों के रजामंदी से होगा

13. यह कि द्वितीय पक्ष नक्शा स्वीकृति होने कि तिथि से **3 वर्ष** में निर्माण करके प्रथम पक्ष को उनका हिस्सा सौप देंगे। उक्त अवधि में अगर प्रथम पक्ष का हिस्सा नही मिलता है तो प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष को 6 (छह) माह का अतिरिक्त समय निर्माण हेतु दिया जाएगा। अगर विकासक के द्वारा समय पर निर्माण कार्य पुरा नहीं करने पर विकासक जमीन मालिक के हिस्से का फ्लैट पर प्रति फ्लैट प्रत्येक माह मो0 10,000/–(दस हजार) रूपया हर्जाना के तौर पर भुगतान करेंगे।

14. यह कि जमीन मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने–अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने–अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त

For, SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner
7/4/18

7.4.18

7.4.18

अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे, लेकिन ऐसे ऋण को चुकाने की सारी जबावदेही बिकासक की होगी, जमीन मालिक इसके लिए कोई जबावदेह नहीं होगा, जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा लेकिन यदि रोड में जमीन जाता है तो सरकारी मुआवजा प्रथम पक्ष जमीन मालिक के हिस्सा में होगा जिसे जमीन मालिक ही प्रप्त करेंगे।

15. बिल्डर अपने हिस्से को किसी भी व्यक्ति को सीधे बिक्रय पत्र हेतु एकरारनामा एवं बिक्रय–पत्र निष्पादित कर सकते हैं और इस कार्य में प्रथम पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा साथ ही प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से को किसी से बेच सकतें हैं या अपने पांस रख सकतें हैं उसमें द्वितीय पक्ष को अवरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पूर्ण हिस्से का निर्माण पूर्ण रूप से करके पहले प्रथम पक्ष को दखल कब्जा सौंपेगें उसके बाद ही द्वितीय पक्ष अपने हिस्से पर किसी को दखल कब्जा सौंपेंगे।

16. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सबसे उपरी छत, सेट बैक, सिढ़ी, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनेरेटर रूम, खुली जगह इत्यादि पर सभी रहने वालों का समान रूप से उपयोग करने का अधिकार होगा और व्यक्तिगत रूप से इस पर किसी का दावा नहीं रहेगा।

17. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस कम्पलेक्स का नाम " **सॉई सम्पन्न उषा पैलेश**" रहेगा।

18. सभी तरह के खर्चों का निष्पादन इस एग्रीमेन्ट के निष्पादन के तिथि से डेवलपर्स यानि कि द्वितीय पक्ष द्वारा उठाया जाएगा परन्तु एग्रीमेन्ट के पहले का बकाया राशि अथवा अन्य प्रकार की जबावदेही प्रथम पक्ष की ही होगी।

19. बिल्डर के द्वारा कौमन क्षेत्र के लिए, प्रकाश, पानी आपूर्ति के लिए बोरिंग एवं पम्प की सुविधा प्रदान की जायेगी। इसके अलावे विधुत एवं जेनरेटर द्वारा विधुत सप्लाई अन्य सदस्यों की तरह प्रथम पक्ष को भी उपलब्ध करायेंगे तथा विधुत कनेक्शन विधुत विभाग से स्वयं अपने खर्च पर सभी सदस्य एवं जमीन मालिक लेवेंगे।

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar
Designated Partner
Ajay Kumar DIN-05324165
7/4/18

7.4.18

7.4.18

20. यह कि प्रथम पक्ष के बचे हुए जमीन के भू–भाग पर इस अपार्टमेंट के रास्ते से दोनों पक्ष को निर्वाध रूप से आने–जाने का अधिकार बना रहेगा। इसमें किसी भी पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

21. नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर जमीन मालिक बढ़ोतरी वाले भाग में भी हिस्सेदार होगें लेकिन उसी अनुपात में जमीन मालिक एवं क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा

22. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का अधिकार होगा जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्यवन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी समावेश द्वितीय पक्ष किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान से आर्थिक–ऋण निर्मित क्षेत्र के अपने हिस्से को मॉरगेज कर अथवा प्रस्तावित योजना के तहत फ्लैट/पार्किंग के एवज में बुकिंग कार्य/ आर्थिक ऋण उगाही सिर्फ 60 प्रतिशत (साठ प्रतिशत) क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेंगे। किसी भी हालत में प्रश्नगत भूखण्ड बिल्डर बंधक नहीं रखेंगे।

23. यह कि विकासक को उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए मिलता है तो वैसी स्थिति में विकासक उक्त प्लौट के साथ बाद में मिले प्लौट को मिलाकर एक साथ या ब्लॉकवाईज विकास कर सकते है तथा उक्त प्लौट पर विकास करने हेतु नक्शा स्वीकृति के बाद उक्त प्लौट के सटे कोई प्लौट विकास करने के लिए विकासक को मिलता है तो विकासक उक्त प्लौट से बांद में मिले प्लौट पर आने–जाने के लिए रास्ता का उपयोग करेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष (जमीन मालिक) को किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार नहीं होगा।

24. यह कि रेरा एवं अन्य सभी तरह के जो भी संबंधित विभागों के द्वारा नोटीफिकेशन होगा उसे दोनो पक्ष स्वीकार कर दोनो पक्ष पूरा करेंगे।

25. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद होने पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आर्विट्रेशन एक्ट के तहत किया जाएगा।

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar
7/4/18
Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner

2 विनोद कुमार 7.4.18

अवनीश 7.4.18

एनेक्चर

कम्पलेक्स के निर्माण के अन्तर्गत आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चरल विवरण:–

1. फाउंडेशन आर0सी0सी0 पाईलिंग (भूकंप रोधी)
2. स्ट्रक्चर आर0सी0सी0 फ्रेम स्ट्रक्चर
3. सिविल वर्क ईटवर्क सिमेन्ट मोर्टार के साथ (प्रथम कोटी का)
4. छत आर0सी0सी0
5. फर्श विट्रीफाईड टाईल्स (कजारिया / जॉनसन / सोमानी
6. प्लास्टर दिवाल सिमेंट मोर्टार (1:6) सिलिंग सीमेन्ट (1:4)
7. दरवाजा सखुआ लकड़ी का चौखट, 32 मी.मी. मोटा प्लश डोर प्राइमर सहित (किट प्लाई / सेन्चुरी) एवं मुख्य दरवाजा लकड़ी / डिजाईनर
8. खिड़की लकड़ी फ्रेम खिड़की शीशा लगा (गमहार एवं सखुआ)
9. रसोई घर ग्रेनाईट का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दीवाल में 24 इंच ग्लेज्ड टाईल्स
10. बाथरूम दिवाल में 7 फीट ग्लेज्ड टाईल्स तथा सतह में एन्टी स्कीट टाईल्स एवं पलमबिंग फिटिंग जगवार का होगा
11. विद्युत वायरिंग कॉन्सिल्ड पी0बी0सी0 कॉनड्युट वायरिंग (एंकर / हॉवेल्स) सहित स्टैण्डर्ड क्वालिटि का फिटींग स्वीच के साथ
12. दीवाल फिनिशिंग अंदर और बाहर से वालपुटी
13. टी0 वी0 एवं ए.सी. सभी कमरों में एक प्वाइन्ट।
14. टेलिफोन प्वाइंट, सभी फ्लैटों में एक प्वाइंट
15. सिवरेज उपर्युक्त व्यवस्था सहित।
16. जेनेरेटर (ध्वनी रहित) एवं इंटरकॉम का प्रावधान रहेगा (महिन्द्रा / किर्लोस्कर)
17. लिफ्ट स्टैण्डर्ड कम्पनी का (ओटिस / कोने)

For SAI SAMPANN INFRA LLP

Vijay Kumar DIN-05324165
Designated Partner

18. जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वतंत्र बोरिंग के द्वारा होगा।

19. भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़, सिमेंट एवं ईंट ए–ग्रेड (ISI) मार्क का होगा।

20. फायर शेफ्टी की ब्यवस्था विकासक सरकार के नियमानुसार करेंगें।

मोड ऑफ पेमेंटः– मो0–5,00,000/– (पॉच लाख) रूपये प्रति कट्ठा की दर से ननरिफन्डेबल देना तय हुआ, जिसके अनुसार कुल ननरिफन्डेबल रकम मो0 57,60,000/– (संतावन लाख साठ हजार) रूपया होता है, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया/जायेगा :–

1. मो0–12,50,000/– (बारह लाख पचास हजार) रूपया आर.टी. जी.एस FDRLRS2018040900622911 दिनांक– 09.04.2018 जो फेडरल बैंक द्वारा श्री मुन्ना पंडित को निबंधित विकास एकरारनामा के पूर्व भुगतान किया गया है।
2. मो0–12,50,000/– (बारह लाख पचास हजार) रूपया आर.टी. जी.एस FDRLRS2018040900622421 दिनांक– 09.04.2018 जो फेडरल बैंक द्वारा श्री रविन्द्र कुमार को निबंधित विकास एकरारनामा के पूर्व भुगतान किया गया है।

शेष राषि का भुगतान जमीन मापी के अनुसार जो जमीन उपलब्ध होगा के अनुसार निबंधित विकास एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह यानि 90 (नब्बे) दिन के अन्दर विकासक आर.टी.जी.एस. के द्वारा जमीन मालिक को भुगतान करेंगे।

7.4.18

7.4.18

For SAI SAMPANN

Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner

निम्न गवाहों की उपस्थिति में उभय पक्षों ने इस विकास एकरारनामा (डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट) को पढ़कर, पढ़वाकर सुन समझकर बिना किसी जोर या दबाव के स्वस्थ्य मन एवं दिमाग से अपने–अपने शुभचिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श कर इस पर हस्ताक्षर बनाया ताकि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षरः–

1. Sumit Kumar
S/o MUNNA PANDIT
Kali Asthan Pethiya Bazar
Danapur Cantt Patna
7.4.18

7.4.18

7.4.18

(प्रथम पक्ष)
भू–स्वामी का हस्ताक्षर

2. अमित कुमार
पिता – श्री मदन कुमार
गोला रोड
दानापुर पटना
7.4.18

For SAI SAMPANN INFRA LLP
Ajay Kumar
7/4/18 Ajay Kumar DIN-05324165
Designated Partner

(द्वितीय पक्ष)
बिल्डर का हस्ताक्षर

मुद्रित कियाः–

(संजीव कुमार), अधिवक्ता
सी.बी.ए.पटना।

प्रारुप तैयार किया।

07/04/2018

(सुजय कुमार)
विलेख लेखक,
लाईसेंस नं.– 132/02
निवासी– 'प्रतिभा निवास', पूर्वी जगनपुरा, पटना–27.

दस्तावेज अवधि

...XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी।
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर।

V

जिला नं० प्रेस, नया।
फरद मालकी/फरद रैयती।
नाम रैयत मय वल्दियत अमावत वो
वो सकूनत। नम्बर।

थानेश्वर अलमपुर 37	सहदेव पांडे

238235

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

0-39		रहन पांडे

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

जिन बाबत 2077	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
मालगुजारी (नगदी)	80					80
मालगुजारी (भावली)	80					80
सेस ...	80					80
*सूद ...	60					60
मुतफरकात ...	80					80
मीजान	200					320

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत। 2077	बकाया				मोतावल हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
मालगुजारी (नकदी)					80	
मालगुजारी (भावली)					80	
सेस ...					60	
*सूद ...					80	
मुतफरकात ...					80	
मीजान अदायकारी					320	

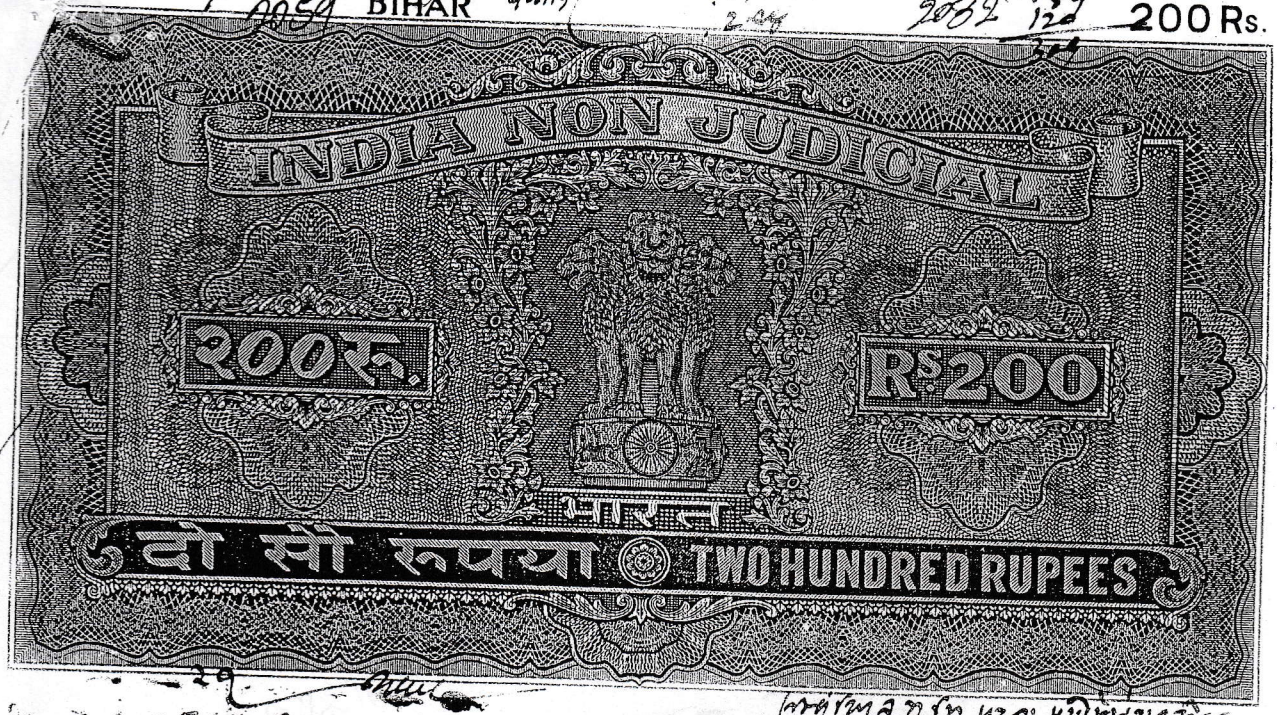
(१) मीजान कुल (लफ्जों में) — दो सौ रुपया मात्र
(२) नाम देहिन्दा —
(३) कुल बकाया —

मुताबिक पूरे तारीख बनाम तहसील कुनिन्दा

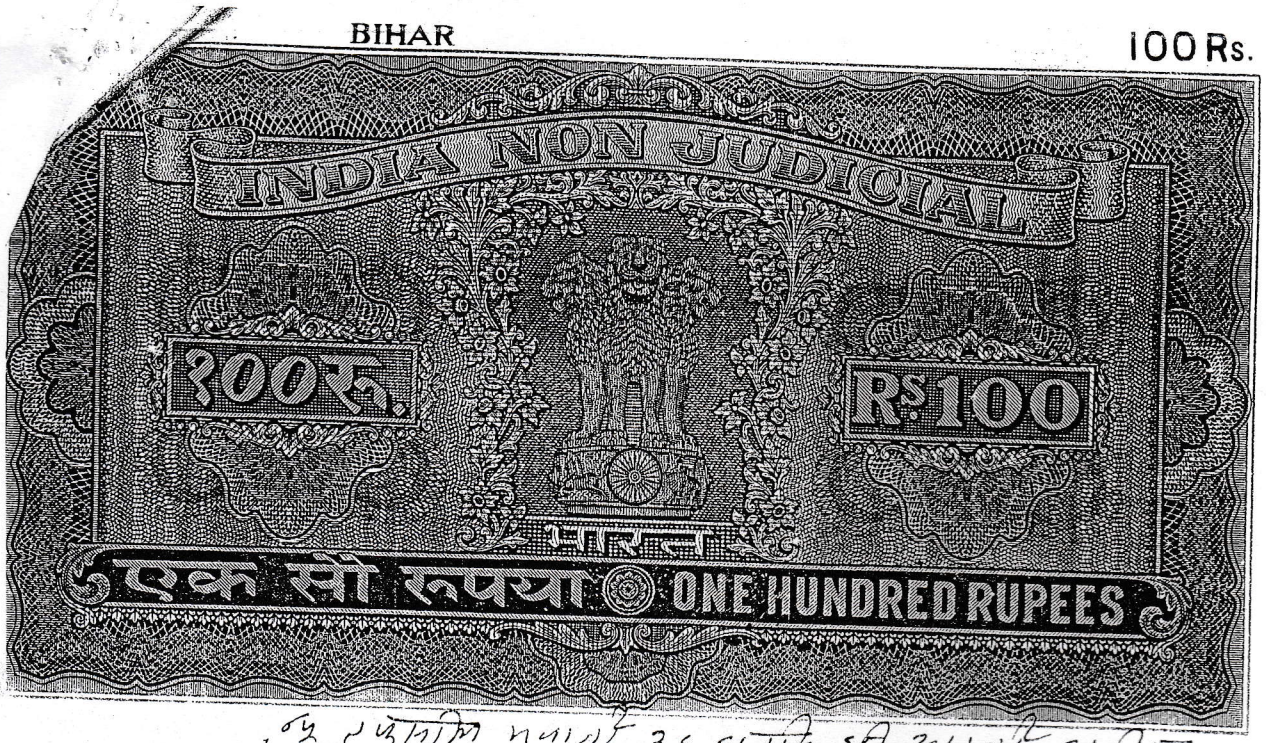
*जब महाल का बकाया मालगुजारी पर हिसाब सैकड़ों पर दिन पर दि [illegible] जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

खाता एकत्ता नं०
2८ 902 0-44
903 0-24

8.7.99



नाम मोदी श्री विश्वनाथ केसरी वगैरह
आदेशी
नाम मोदी श्री महादेव पंडित वगैरह
आदेशी
विषय वादिनी वगैरह
का संपत्ति



वादी प्रतिवादी सभापति उक्त घनश्यामि की आज्ञानुसार दावीदार साक्षीदार में वाक्य रहेगी कागजी नकदी वाले मौजा मोचपरा

अधवक्त पत्र मगनी कुमार माड़ी थाना को लेन राजेश्वरी दासाकुर सदर राजेश्वरी को निमा पटना मौजा रघुपुर थाना उक्त लोहा २८ मजान मगनी मौ २११५ आमाथ शेरा वनाकि- रघाँ जिहार सरकार वहादुर वनोपे अंचला अधिकारी दासाकुर छुधार लिखित पटना में ४६ डाकमि पटनादेशोमोशरण क्षेत्र के अनुदेश मोहर प्रमाण के वादी में मगनि कृषि योग्य है

नीचा 1. ₹	3.	4.	5.	6.	
४८२ × १५	डाकु	— शिवमंदिर	— आह	— वकालती	
१८३ × २१	उरांव	थाना		लिहें	

साक्षीगण उक्त डाकी

यह नकदी को मगनी लेनदेन के वादि पक्ष मदानाम वादी के दावा के दावा को नकदी आमाद लोने के दो के साथ कवाला पंचमा कमानी लेना वो वेचा वो मालिक मगनी (रुपये 3000) नोट दावा लेनदेन वादिक वंशुमधरादार श्री रतनु साह वक्त नालपाला लेन मालिक मालोपुर थानादासाकुर निमा पटना का दावे यहाँ वाले पमा आना है उक्त लेनदेन को लेनदेन के अनुसार दावा वादी के लेनदेन



7 Rs

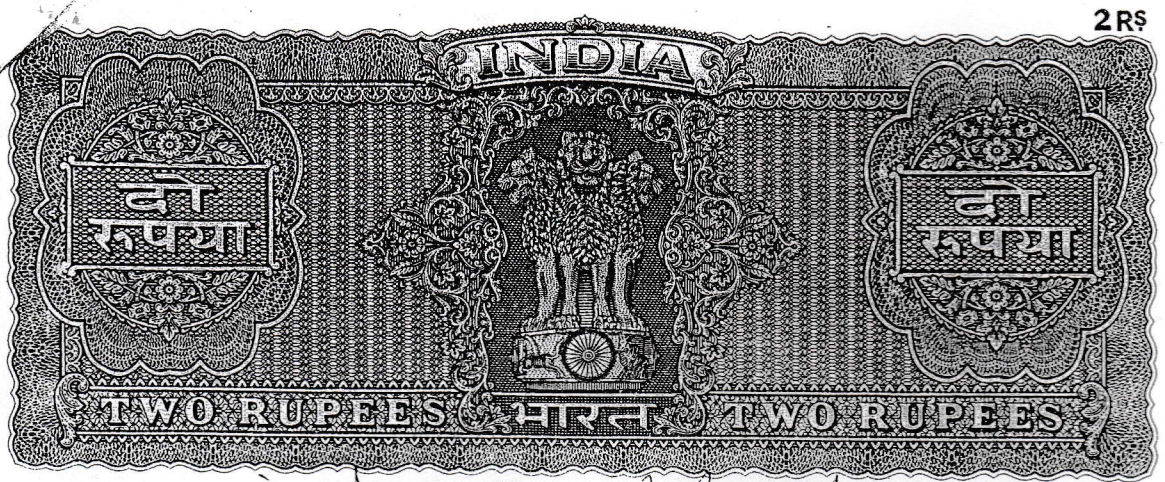
66-3-79

मजदूर आगम समिति के पुष्टि पर बुलाई सभा
बगल गाछ आगे अपने पास रख लेवेंगे,
मासाहारी मरी 3000) नगद इनाम मंगेगा बराबर
न्यायालय बदलेंगे लोहार मजदूर के-बहुत पास
अपने रहा दो लगातार कर लाकर दो विरोध
उस आगे में सोचना पर दावा दो दावेदार
मासिक शिक्षण आहार के विरोध के
उस आगे सोचना पर दावा दो दावेदार
होवा दो रहा बोलना मास मीटिंग पास के
पैसे का लेवेंगे अब मीटिंग दो बालाग दो कार्य
सहायक उसे बाद पुष्टि दो न लहा दो न
होगा दो नहीं रुपये दो शहादत मत मीटिंग
को सोचकर से हाथी आ हाथ दो चुनाव
दो चुका दो बनाने नहीं दो बेचना रखना
के लिए सेनापति को हाथी चुना आगे बढ़ने
वाले का रखा हाथ पास गांव से पहले
मरी पुष्टि मासाहारी गाल दो दोहराया
मजदूरी दो गरीब चुना गांव बनाने
मीटिंग दो बालाग दो कार्य सहायक से
मीटिंग के बाद पर लेवेंगे बाहर का

मरी 3000) नगद इनाम मंगेगा बराबर



7 Rs


2 RS
INDIA
दो रुपया
दो रुपया
TWO RUPEES
भारत
TWO RUPEES

Sch. XIV.—F.No. 180 V.

V

रसीद मालगुजारी

बि0स0मु0, पटना।

X

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

108

2। नाथु [illegible]	[illegible] 3z	मु-नाथोडि	0249192

अराजी नगदी

0·3 हल	अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली।

[illegible]

जिंस का सालाना मारा गया तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

मांग बाबत 2071-72		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल-गुजारी	(नकदी)	80					80
	(भावली)	80					80
सेस		80					80
*सुद		80					80
मुतफरकात		80					80
मीजान		200					200

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2071-72		बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल-गुजारी	(नकदी)					80	
	(भावली)					80	
सेस						80	
*सुद						80	
मुतफरकात						80	
मीजान अदायकारी						200	

(1) मीजान कुल (लफ्जो मे) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सुद नहीं लिया जाता है।

2072 0·92

2073 0·29

XIV—F. No. 180V.

V

रसीद मालगुजारी। | जिला नं० तेह, तप्पा। | फरद मालकी/फरद रैयती। | 238235

आम सर्कल। नाम मौजा मय पाना वो पाना नम्बर। | नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सुकूनत। नम्बर।

आलापुर अलमपुर 37	सहदेव पांडे

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

0.39	

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल की।

जिन बाबत 2077-78	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
मालगुजारी (नगदी)	80					80
मालगुजारी (भावली)	80					80
सेस ...	80					80
*सूद ...	60					60
मुतफरकात ...	80					80
मीजान	200					200

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत। 2077-78	बकाया				मोतावल हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
मालगुजारी (नकदी)					80	
मालगुजारी (भावली)					80	
सेस ...					60	
*सूद ...					60	
मुतफरकात ...					80	
मीजान अदायकारी					200	

(१) मीजान कुल (रुपजों में) — दो सौ रुपया मात्र

(२) नाम देहिन्दा —

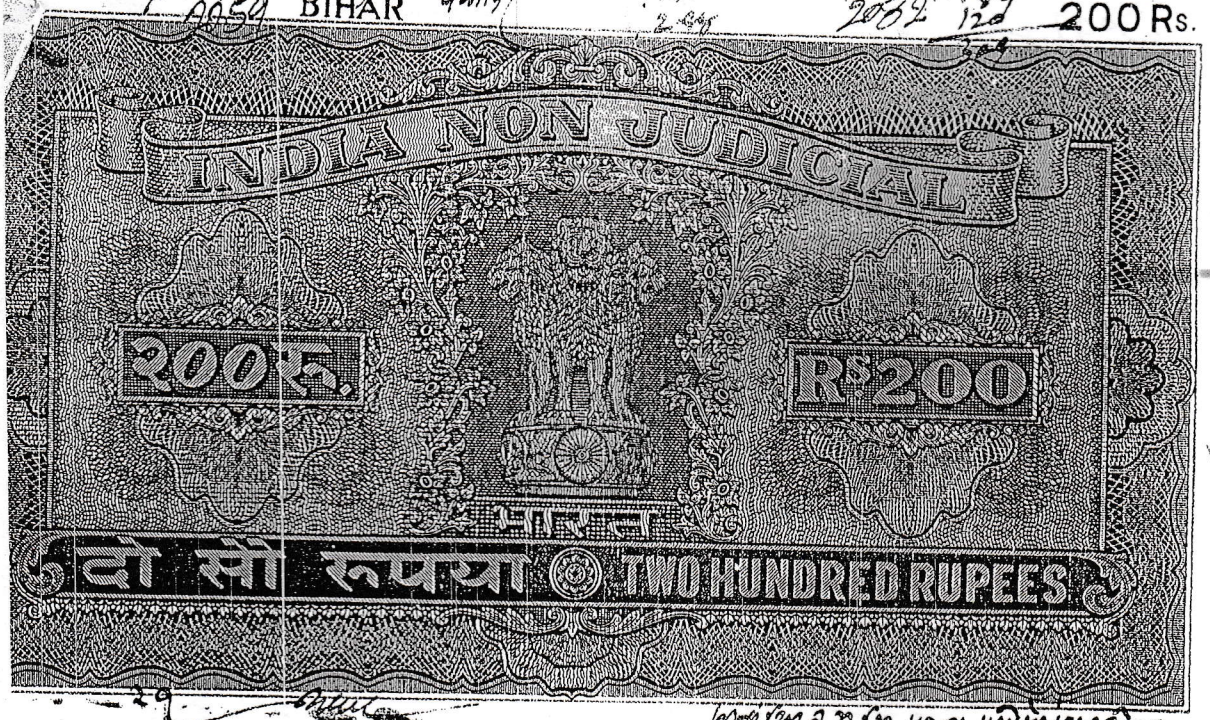
(३) कुल बकाया —

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*जिस महाल का बकाया मालगुजारी पर जिमा देहिन्दाओं पर जिन पर कि वह लिखा जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

2-C
9V2 0.41
9V3 0.29

8.5.19



1 नाम मोकदमा श्री विश्वनाथ देवाल राय वगैरह बनाम बाबू रूपा राय वगैरह
1-की जात जात साकिन मौजपुर थाना फुलवारी थाना दीघा जिला पटना पैरोकार काफ़ि खारी

2 नाम मोकदमा आमद श्री महादेव पंडित वगैरह श्री रतन पंडित वगैरह
जात ब्राह्मण साकिन दानापुर कैन्ट थाना दानापुर जिला पटना पैरोकार काफ़ि वादि

3 किस्म कागजात व दावा वगैरह देवाला बैनामा वगैरह Deed of sale मौजे ६००) छः सौ रुपया बैनामा लिखित आदाय मौजे 3000) तीन हजार रुपया दर्ज है


INDIA NON JUDICIAL
100 Rs.
Rs.100
ONE HUNDRED RUPEES


INDIA
सात रुपया
सात रुपया
SEVEN RUPEES
भारत
SEVEN RUPEES
7 Rs

INDIA
दो रुपया
दो रुपया
TWO RUPEES
भारत
TWO RUPEES

13-Aug-2018

बिहार सरकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
Danapur,Patna
नामांतरण शुद्धि-पत्र

Duplicate Copy: CRSLP287630 13-08-2018

न्यायालय अंचल अधिकारी, Mahendra Prasad Gupta अंचल Danapur जिला राजस्व ग्राम ववक्करपुर राजस्व थाना संख्या 35 दाखिल - खारिज वाद संख्या एवं वर्ष 630/R27 2017 - 2018 पिछला भाग वर्तमान 2 पिछला पृष्ट संख्या 70514 नया भाग वर्तमान 14 नया पृष्ट संख्या 7 जिससे

निम्नलिखित भूमि खारिज कि जानी है...

खाता न.	प्लौट न.	भूमि का रकबा.
28	192	15 डिसमील
खाता न.	प्लौट न.	भूमि का रकबा.
28	193	21 डिसमील

जमाबंदी रैयत का नाम — सहदेव पंडित-पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित

उपर्युक्त जमाबंदी से घटायी जानेवाली भूमि के ब्यौरे

राजस्व ग्राम/राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी	भू-राजस्व
ववक्करपुर/35	28	192	15 डिसमील		
	28	193	21 डिसमील		

दाखिल-खारिज के उपरान्त नए जमाबंदी रैयत का नाम एवं भूमि के ब्यौरे

नए जमाबंदी रैयत का नाम एवं पूर्ण पता	नई जमाबंदी में प्रविष्ट किये जानेवाले भूमि के ब्यौरे					भू-राजस्व
	राजस्व ग्राम/ राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी	
(MUNNA PANDITपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT) एवं (RAVINDRA KUMARपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT)	ववक्करपुर/35	28	192	15 डिसमील	पूरबAHAR SINGH पश्चिमBASANTI UDIM उत्तरJAHUR PASI दक्षिणSHIVAN	40
		28	193	21 डिसमील	पूरबAHAR SINGH पश्चिमBASANTI UDIM उत्तरJAHUR PASI दक्षिणSHIVAN	

Approved By : Mahendra Prasad Gupta
अंचल अधिकारी
Danapur

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

16/5/18

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13 August 2018

नामान्तरण जाँच प्रतिवेदन

नामान्तरण मुकदमा संख्या : 630R27 /2017 - 2018

जिला का नाम	Patna	अनुमंडल नाम	Patna	अंचल का नाम	Danapur
मौजा का नाम	वतक्करपुर	थाना नम्बर	01	थाना नाम	Patna
लेखारोपण no	74	लेखारोपण तिथि	26/12/2002	परिवर्तन प्रकार	Succession

खाता नम्बर	रैयत नाम	प्लॉट no	रकबा	लगान	अभ्युक्ति
28	विक्रेता का नाम 1)सहदेव पंडित,पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित, जाति-दबगरर, पत्ता-DANAPUR , \| क्रेता का नाम (MUNNA PANDITपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT) एवं (RAVINDRA KUMARपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT)	192	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 15 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 15 डिसमील 0 हेक्टर	40	
28	विक्रेता का नाम 2)सहदेव पंडित,पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित, जाति-दबगरर, पत्ता-DANAPUR , \| क्रेता का नाम (MUNNA PANDITपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT) एवं (RAVINDRA KUMARपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT)	193	नामान्तरण पूर्व खाता 0 एकड़ 21 डिसमील 0 हेक्टर नामान्तरण पश्चात खाता 0 एकड़ 0 डिसमील 0 हेक्टर नया खाता 0 एकड़ 21 डिसमील 0 हेक्टर	40	

कर्मचारी रिपोर्ट

खाता नंबर	28
हल्का का नाम	लखनीबिगहा
प्लॉट नंबर	192
मूल खतियान रैयत का नाम	खतियान अनुपलब्ध \| सरकारी भूमि का पंजी संधारित है \|
जमाबन्दी रैयत का नाम	सहदेव पंडित-पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित
विक्रेता/दाता का नाम	LATE SAHDEV PANDIT
जमाबन्दी रैयत से विक्रेता/दाता का संबंध	स्वयं
जमाबन्दी अभिधारी खाता पंजी 2 की जिल्द संख्या	भाग बर्तमान 2 पृष्ट संख्या बर्तमान 70514
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमींन विक्रय/दान की है	हाँ
केवाला में वर्णित भूमि का खता, खेसरा, रकवा एवं चौहंदी की जाँच राजस्व अभिलेख से किया गया	हाँ
जमाबंदी संख्या जमाबंदी रैयत, खता, खेसरा, रकवा एवं चौहदी का जाँच किया एवं सही पाया	हाँ
दाखिल खारिज के अभिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का लगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की छायाप्रति संलगन है	हाँ
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनो यथा मंदिर, मस्जिद,श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	Download
प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण भौतिक दखल कब्ज़ा है	नहीं
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायलय से लंबित है अथवा नहीं	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायलय से लंबित है अथवा नहीं	नहीं

...ने की वर्त्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यवसायिक/परती	क्रेता
भूमि रैयत खाते की है। गैरमजुरआ खास गैरमजुरआ मालिक , गैरमजुरआ आम खासमहल , भूहदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	परती
...मे निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदलैन / बँटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ
...नंबर	हाँ
...का नाम	28
...ोट नंबर	लखनीबिगहा
मूल खतियान रैयत का नाम	193
जमाबन्दी रैयत का नाम	खतियान अनुपलब्ध। सरकारी भूमि का पंजी संधारित है।
विक्रेता/दाता का नाम	सहदेव पंडित-पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित
जमाबन्दी रैयत से विक्रेता/दाता का सबंध	LATE SAHDEV PANDIT
जमाबन्दी अभिधारी खाता पंजी 2 की जिल्द संख्या	स्वयं
यदि आवेदित भूमि संयुक्त खाते की है तो क्या विक्रेता/दाता ने अपने अंश को जमीन विक्रय/दान की है	भाग बर्तमान 2 पृष्ट संख्या बर्तमान 70514
केवाला में वर्णित भूमि का खता, खेसरा, रकवा एवं चौहदी की जाँच राजस्व अभिलेख से किया गया	हाँ
जमाबंदी संख्या जमाबंदी रैयत, खता, खेसरा, रकवा एवं चौहदी का जाँच किया एवं सही पाया	हाँ
दाखिल खारिज के अभिलेख के साथ केवाला की छायाप्रति, विक्रेता का लगन रसीद की छायाप्रति अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की छायाप्रति संलगन है	हाँ
प्रश्नगत भूमि धार्मिक-सामाजिक प्रयोजनो यथा मंदिर, मस्जिद,श्मशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि के लिए उपयोग नहीं की जा रही है / की जा रही	Download नहीं
प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्ण भौतिक दखल कब्ज़ा है	हाँ
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायलय से लंबित है अथवा नहीं	नहीं
प्रश्नगत भूमि से सम्बंधित कोई स्वत्ववाद (टाइटल सूट) न्यायलय से लंबित है अथवा नहीं	नहीं
आवेदित भूमि पर वर्त्तमान में किसका कब्जा है।	क्रेता
आवेदित भूमि की वर्त्तमान स्थित कृषि/मकान/व्यवसायिक/परती	परती
क्या उक्त भूमि रैयत खाते की है। गैरमजुरआ खास गैरमजुरआ मालिक , गैरमजुरआ आम खासमहल , भूहदबन्दी एवं भूदान से मुक्त है	हाँ
क्या भूमि निबन्धित केवाला / दान उत्तराधिकार / बदलैन / बँटवारा / बन्दोबस्ती से प्राप्त है	हाँ

कर्मचारी का मंतव्य:

16/8/2018

कर्मचारी का हस्ताक्षर

Cancel

SDO 16/8/18

cate Copy):RPTCO28774

तिथि
May 21 2018

आदेश

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा वक्करपुर थाना Patna

खाता	प्लॉट	रकबा
28	192	0 एकड़,15 डिसमील, 0हेक्टर
28	193	0 एकड़,21 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
LATE SAHDEV PANDIT	पिता/बाप/अबू	LATE RAM RATAN PANDIT

है जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या/शपथ पत्र 74 दिनांक Dec 26 2002 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
सहदेव पंडित	पिता/बाप/अबू	रत्न पंडित

र्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त आ। किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि ा नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

त: वार्षिक लगान **40रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

द्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Add Digital Signature

itally Signed by :

अंचलाधिकारी Danapur

16/8/18

अंचल अधिकारी, अंचल Danapur जिला राजस्व ग्राम वववक्करपुर राजस्व थाना संख्या 35 दाखिल -खारिज वाद संख्या एवं वर्ष 630/R27 2017 - 2018 जमाबंदी संख्या 248 भाग वर्तमान 14 पृष्ट संख्या 70514 जिससे

निम्नलिखित भूमि खारिज कि जानी है...

खाता न.	प्लौट न.	भूमि का रकबा.
28	192	15 डिसमील
खाता न.	**प्लौट न.**	**भूमि का रकबा.**
28	193	21 डिसमील

जमाबंदी रैयत का नाम	सहदेव पंडित-पिता/बाप/अबू -रत्न पंडित

उपर्युक्त जमाबंदी से घटायी जानेवाली भूमि के ब्यौरे					भू-राजस्व
राजस्व ग्राम/राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी	
Patna/35	28	192	15 डिसमील		
	28	193	21 डिसमील		

दाखिल-खारिज के उपरान्त नए जमाबंदी रैयत का नाम एवं भूमि के ब्यौरे

नए जमाबंदी रैयत का नाम एवं पूर्ण पता	नई जमाबंदी में प्रविष्ट किये जानेवाले भूमि के ब्यौरे					भू-राजस्व
	राजस्व ग्राम/राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी	
(MUNNA PANDITपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT) एवं (RAVINDRA KUMARपिता/बाप/अबू -LATE SAHDEV PANDIT, जाति-कुम्हार, पता-KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT)	वववक्करपुर/01	28	192	15 डिसमील	पूरब AHAR, पश्चिम BASANTI SINGH, उत्तर JAHUR UDIM, दक्षिण SHIVAN PASI	40
		28	193	21 डिसमील	पूरब AHAR, पश्चिम BASANTI SINGH, उत्तर JAHUR UDIM, दक्षिण SHIVAN PASI	

Approved By : Mahendra Prasad Gupta

अंचल अधिकारी

Danapur

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

आदेश

तिथि
May 21
2018

आदेश पर की गई
कारवाई

लेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन
र्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा वक्करपुर थाना Patna

ा	प्लॉट	रकबा
	192	0 एकड़,15 डिसमील, 0हेक्टर
	193	0 एकड़,21 डिसमील, 0हेक्टर

बिक्रेता

ता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
TE SAHDEV PANDIT	पिता/बाप/अबू	LATE RAM RATAN PANDIT

ने होनें निवधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 74 दिनांक MMM d yyyyके द्वारा आवेदक को
ने किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

त का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
देव पंडित	पिता/बाप/अबू	रत्न पंडित

मान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।
सी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण
वेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

स्व कर्मचारी एव अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन प्राप्त अनुशसा के आलोक में दाखिल खारिज की
कृति दी जाती है
. वार्षिक लगान 40रुपये

ुकुत अलावे सेस के साथ नामान्तरण
किया जाता है।
द्ध पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।। ह0 कर्मचारी पंजी ॥ में आवश्यक संशोधन के
ात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

gitally Signed by :

अंचलाधिकारी Danapur

बिहार भूमि

प्रपत्र-XIV ख

(देखें नियम-10)

लगान रसीद

ऑनलाइन

Running Unique No.: 0011989730

(Receipt No.)

जिला:- Patna

अंचल:- Danapur

जमाबंदी सं0 -

मौजा/थाना सं0:- 35

जमाबंदी रेयत का नाम - MUNNA PANDIT,RAVINDRA KUMAR

अभिभावक का नाम:- LATE SAHDEV PANDIT,LATE SAHDEV PANDIT

पता:- KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT,KALI ASTHAN PETHIYA BAZAR, DANAPUR CANT

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
28	192,193	0 एकड़ 36 डिसमील 0 हेक्टर

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	40.00	40.00	40.00	0.00	80.00	2017-2018 से 2018-2019
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	58.00	58.00	58.00	0.00	120.00	2017-2018 से 2018-2019
कुल	98.00	98.00	98.00	0.00	200.00	2017-2018 से 2018-2019

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	40.00	40.00	80.00	2017-2018 से 2018-2019	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	58.00	58.00	120.00	2017-2018 से 2018-2019	
कुल	98.00	98.00	200.00	2017-2018 से 2018-2019	

वसूल की गयी राशि शब्दों में- Two Hundred Rupees

कुल बकाया-200.00

तिथि- 11-07-2018

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।